संख्या- 07 /2022/115/53-2-22-2(44)/15

प्रेषक,

बिन्द गोपाल द्विवेदी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्धशाला विकास अधिकारी / उप दुग्धशाला विकास अधिकारी /आहरण वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0,

मैनपुरी, आगरा, झांसी, जालौन(उरई), हमीरपुर, महोबा, बांदा, लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, मेरठ, रामपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, गोण्डा एवं बहराइच।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 21 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश(जिला योजना) योजनान्तर्गत अनुदान। (अनु0सं0-16)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त,उ0प्र0 के पत्रांक-277/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(266)/21-22, दिनांक 08अक्टूबर,2021, पत्रांक-402/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(266)/21-22, दिनांक 24दिसम्बर,2021, पत्रांक-429/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(266)/21-22, दिनांक 11जनवरी,2022, पत्रांक-463/दुग्ध-4/नियो0/ सुदृढ़ी0-सामान्य(266)/21-22, दिनांक 31जनवरी,2022 तथा पत्रांक-497/दुग्ध-4/नियो0/तकनीकी निवेश-सामान्य(266)/21-22, दिनांक 02मार्च,2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी इनपुट योजना चलाये जाने हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 464.10 लाख के सापेक्ष 1/6 अर्थात रू0 77.35 लाख की धनराशि प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या- 24/2021/871/53-2-21-2(44)/15, दिनांक 06अक्टूबर,2021 अवमुक्त की गयी है । अवशेष धनराशि रू0 386.75लाख के सापेक्ष **द्वितीय किश्त** के रूप में रू0 77.35लाख (रूपये सत्तहत्तर लाख पैतीस हजार मात्र) **संलग्नक** के अनुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाईडलाइन्स का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्य एवं मदों हेतु किया जायेगा जिस हेतु धनराशि का बजट प्राविधान किया गया है, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 की होगी।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय बजट प्राविधान से इतर कार्य / मदों में किया जाना वित्तीय अनियमितता होगी।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा।

(5) पूर्व में अवशेष धनराशि के उपभोगोपरान्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को निर्धारित मद में व्यय कराने व उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(7) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य/मद हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(8) प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का होगा।

(9) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 का उत्तरदायित्व होगा।

(10) वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास,उ0प्र0 के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी

.....2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।

(11) विभागाध्यक्षों/ अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

(12) कोषागार से एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाये, क्योकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

(13) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) उक्त् स्वीकृत की जा रही धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगें।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेशों/नियमों में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। किसी भी प्रकार के विचलन की स्थिति में वे स्वयं ही उत्तरदायी होगें।

(17) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय बजट प्राविधान हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के कार्यो/मदों जिस हेतु वस्तुत: अनुमन्य है केवल उन्ही प्रयोजन में धनराशि व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद/कार्य में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(18) व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/ धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघों को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला अधिकारी का होगा।

(19) स्वीकृति धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ / परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(20) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/ सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(21) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/ बी-1-375/ दस-2021-231/ 2021, दिनांक- 22.03.2021 में उल्लिखित दिशा -निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(22) दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग द्वारा संबधित दुग्ध संघों को प्रश्नगत कार्यक्रम में उपलब्ध कराई जा रही धनराशि का निर्धारित मदों में उपयोग सुनिश्चित कराते हुए उसका उपयोगिता प्रमाण- पत्र संकलित कर शासन को तृतीय किश्त की आवश्यकता से पूर्व उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम -0301- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश (जिला योजना) -20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- ई-1- 3689 /2021-22, दिनांक 21.3.2022 में प्राप्त उनकी सहमति के अधीन जारी किए जा रहे है।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

.....3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 07 /2022/ 115(1)/53-2-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, प्रयागराज।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड,प्रयागराज।
4- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उ0प्र0।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश।
14- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
बिन्द गोपाल द्विवेदी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।